

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी**  
पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-1 (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 232/2025  
दायर दिनांक :- 31.07.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/102  
निर्णय दिनांक :- 03.12.2025

1. नवाबदीन पुत्र मीरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी निजामदीन की बस्ती, देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थीगण

**बनाम**

1. रईसखान पुत्र मीरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी निजामदीन की बस्ती, तहसील बाप जिला फलोदी
2. ताजमोहम्मद पुत्र करीमखान जाति सिंधी मुसलमान निवासी गुमानपुरा, देचू तहसील देचू जिला फलोदी
3. सीमा पत्नी सम्पतराज जाति माली निवासी खवासपुरा तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर
4. अनिस पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
5. इकबाल पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
6. इलियास पुत्र नूरदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
7. इलमदीन पुत्र खुदाबक्स जाति मुसलमान निवासी देदासरी **फौत के कायम मुकाम**
- 7/1 जमालदीन पुत्र इलमदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
- 7/2 सालेमोहम्मद पुत्र इलमदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
- 7/3 मूसे खां पुत्र इलमदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
8. अलाबसाया पुत्र रमजानखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
9. नूरखातू पत्नी रमजान जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

- उपस्थित :- 1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थी  
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि

*Saty*  
कार्य  
(फलोदी)

खेत खसरा नम्बर 337 रकबा 4.0226 हैक्टेयर सरहद मौजा निजामदीन की बस्ती पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी (राज) में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड जमाबंदी अनुसार कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि पर अपनी-अपनी रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे हैं। उक्त रहवासीय ढाणीयों में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे हैं। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने क्रमांक 2025/49538/1 दिनांक 02.05.2025 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 06.05.2025 को मौके पर जाकर प्रार्थी की उपस्थिति में उक्त भूमि की पैमाईश की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थी एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ़ कर सुनाया गया और पड़ोसी खातेदार उक्त पैमाईश से संतुष्ट नहीं हुए। पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थी जब उसी समय पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगे तो उक्त भूमि के पड़ोसी खातेदार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 ने पैमाईश अनुसार प्रार्थी की हद में खूंटे रोपने नहीं दिये और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी अपनी खातेदारी की उक्त भूमि से बरसात के मौसम में काश्त करते हैं तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थी ग्राम निजामदीन की बस्ती पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 337 रकबा 4.0226 हैक्टेयर भूमि की दिनांक 06.05.2025 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थी अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 10 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 10 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि खसरा नम्बर 337 रकबा 4.0226 हैक्टेयर सरहद मौजा निजामदीन की बस्ती पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 06.05.2025 के अनुसार प्रार्थी की हद में प्रार्थी और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किया जाना उचित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 337 रकबा 4.0226 हैक्टेयर सरहद मौजा निजामदीन की बस्ती पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का

Satyam  
बाप (जिला)

कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 06.05.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 337 रकबा 4.0226 हैक्टियर सरहद मौजा निजामदीन की बस्ती पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी पैमाईश फर्द दिनांक 06.05.2025 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

#### आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा निजामदीन की बस्ती पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 337 रकबा 4.0226 हैक्टियर भूमि की पत्थरगढी मौका फर्द दिनांक 06.05.2025 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थरगढी करवावे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सत्यनारायण-I, R.A.S.)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बाप (फलोदी)